



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या - 46/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:190-190.4/अपर निजी सचिव/2020

दिनांक: 25/02/2021

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 05.02.2021 को सम्पन्न 190वीं बैठक में एजेण्डा आइटम सं० 190.4 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में लागू "यू०पी० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्रियल स्टाफ सर्विस रेगुलेशन्स-1969" के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक का पदनाम "अपर निजी सचिव" परिवर्तित करते हुए "उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० मुख्यालय अपर निजी सचिव सेवा विनियमावली-2020", एतद्वारा, निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:-

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुख्यालय अपर निजी सचिव सेवा विनियमावली-2020

भाग-एक -सामान्य

1. यह विनियमावली "उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुख्यालय अपर निजी सचिव सेवा विनियमावली-2020" कही जायेगी।
2. यह विनियमावली निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
3. जब तक विषय एवं संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस विनियमावली में:-
 - (i) "निदेशक मण्डल" का तात्पर्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल से है।
 - (ii) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से है।
 - (iii) "निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)" का तात्पर्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) से है।
 - (iv) "मुख्यालय" का तात्पर्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मुख्यालय कार्यालय से है।
 - (v) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य, किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि से है।
 - (vi) "सीधी भर्ती" का तात्पर्य, इस विनियमावली के भाग-3, भाग-4 एवं भाग-5 में प्राविधानित भर्ती प्रक्रिया से है।

भाग-दो -संवर्ग

4. अपर निजी सचिव के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायेगी।
5. जब तक उपरोक्त विनियम-4 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० मुख्यालय में अपर निजी सचिव (समूह 'ग') के पदों की संख्या 05 है।

6. नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग के किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या आस्थगित रख सकता है।
7. निदेशक मण्डल, समय-समय पर आवश्यकतानुसार, अतिरिक्त पदों का सृजन भी कर सकते हैं यदि वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती/प्रोन्नति

8. भर्ती का स्रोत- मुख्यालय में अपर निजी सचिव के पदों पर सीधी भर्ती/विभागीय प्रोन्नति निम्नवत की जायेगी:-

(i)	अपर निजी सचिव	<p>(अ) विद्युत उत्पादन सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा -75%</p> <p>(ब) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यरत न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके आशुलिपिकों में से, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग के माध्यम से विभागीय परीक्षा द्वारा -25%</p> <p>(विभागीय परीक्षा प्रक्रिया इस विनियमावली भाग-पाँच के विनियम 12 में निहित प्राविधानों के अनुसार सम्पादित की जायेगी)</p>
-----	---------------	--

9. आरक्षण- विद्युत उत्पादन सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, उ0प्र0 शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी होने वाले निगम द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार लागू होंगे।

भाग-चार-अहर्तायें

10. सामान्य अहर्तायें-

(i)	राष्ट्रीयता	<p>सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-</p> <p>(क) भारत का नागरिक हो, या</p> <p>(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या</p> <p>(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा(म्यांमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानियाँ (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन (Migrate) किया हो:</p> <p>प्रतिबंध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हो:</p> <p>प्रतिबंध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महातिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश तथा पटल पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा:</p> <p>अग्रिम प्रतिबंध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण-पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण-पत्र न प्राप्त कर लिया हो।</p>
(ii)	आयु	<p>न्यूनतम-21 वर्ष</p> <p>(01 जनवरी से 30 जून तक रिक्तियों के विज्ञापन के संबंध में न्यूनतम आयु की गणना 01 जनवरी को तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक रिक्तियों के विज्ञापन के सम्बन्ध में न्यूनतम आयु की गणना 01 जुलाई को की जायेगी)</p>

	अधिकतम-40 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबंध केवल ऐसे पदों के लिये लागू होगा जो बाह्य अभ्यर्थियों हेतु सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किये जायेंगे।)
(iii)	आयु में शिथिलीकरण अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सहित आरक्षित वर्ग की अन्य श्रेणियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में छूट के वही प्राविधान लागू होंगे जो समय-समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किये जायेंगे।
(iv)	चरित्र प्रमाण पत्र (क) नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवा लें परन्तु, किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिये न छोड़ा जाये। सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस, प्रतिकर अथवा वेतन के, निरस्त कर दी जायेगी। (ख) अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ग) अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे सभ्रान्त व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के संबंधी न हों, से सतचरित्रता का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
(v)	स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्साधिकारी, जिसे उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने इसके लिये प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
(vi)	वैवाहिक स्थिति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियों हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

नोट:- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वाभिव्यधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अघमता के किसी अपराध के लिये आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे।

11. शैक्षिक अहर्तायें (सीधी भर्ती एवं विभागीय परीक्षा):-

(i) अपर निजी सचिव	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
(क) सीधी भर्ती कोटा -75%	
(ख) विभागीय परीक्षा कोटा -25%	

भाग-पाँच-सीधी भर्ती/विभागीय परीक्षा की प्रक्रिया

12. अपर निजी सचिव- अपर निजी सचिव के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले अथवा प्रोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर चयन किये जाने हेतु विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

प्रथम भाग:-

- (1) इस भाग में **NIELIT** के "O" स्तर के कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंको की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात् ¼ अंक की कटौती की जायेगी।
- (2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- (3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

द्वितीय भाग:-

इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं, प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात् ¼ अंक की कटौती की जायेगी।

पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
(1) सामान्य अध्ययन व तार्किक ज्ञान	40	40
(2) सामान्य हिन्दी (इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)	60	60
(2) सामान्य अंग्रेजी (इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)	60	60
कुल अंक		200

तृतीय भाग:-

उपरोक्त द्वितीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर हिन्दी आशुलेखन तथा हिन्दी व अंग्रेजी की टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।

आशुलेखन तथा हिन्दी व अंग्रेजी की टंकण परीक्षा के मानक निम्नवत होंगे:-

(1) आशुलेखन परीक्षा:-

हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के लिये दिये जाने वाले श्रुतलेख (Dictation) हेतु 05 मिनट का समय निर्धारित होगा। इस 05 मिनट की अवधि में दिये गये श्रुतलेख (Dictation) के कम्प्यूटर पर टंकण हेतु

30 मिनट का समय निर्धारित होगा और इस प्रकार इस 35 मिनट की अवधि में लिये गये श्रुतलेख एवं किये गये टंकण के आधार पर आशुलेखन गति का निर्धारण किया जायेगा।

(2) टंकण परीक्षा:-

(i) हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टंकण की परीक्षा ली जायेगी। हिन्दी टंकण की परीक्षा **Kruti Dev 010** या **Kruti Dev 016** फोन्ट में ली जायेगी।

(ii) टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा।

प्रतिबंध :-

चयन हेतु आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिन्दी व अंग्रेजी टंकण में 40-40 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात् आशुलेखन एवं हिन्दी व अंग्रेजी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न कर सकने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

विशेष:-

1. उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अन्तिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
 2. उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंको की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।
 3. परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका इस विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग को प्राप्त होगा।
13. अपर निजी सचिव के पद से निजी सचिव (श्रेणी-2) के पद पर प्रोन्नति:-
अपर निजी सचिव के पद से निजी सचिव (श्रेणी-2) के पद पर प्रोन्नति निगम में निजी सचिव (श्रेणी-2) पद हेतु प्रचलित सम्बन्धित विनियमावली में निहित प्राविधानों से नियंत्रित होगी।

भाग-छ: नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

14. **नियुक्ति प्राधिकारी-** निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), अपर निजी सचिव के पद के लिये नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।
15. **परिवीक्षा-**
 - (i) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति उपरान्त 2 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
 - (ii) नियुक्ति प्राधिकारी कारणों का उल्लेख करते हुए अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि किसी भी परिस्थिति में 01 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
 - (iii) परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या अवधि के अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यदि यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने में विफल रहा है तो प्रोन्नत प्राप्त विभागीय कार्मिक को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है तथा सीधी भर्ती के कार्मिक की सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

- (iv) उपरोक्त उपनियम (iii) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा अथवा उसकी सेवायें समाप्त की जायेंगी वह किसी प्रतिकार का हकदार न होगा।

16. स्थायीकरण-

परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के उपरान्त आगामी एक अप्रैल से प्रारम्भिक नियुक्ति के पद पर स्थायी कर दिया जायेगा यदि:-

- (i) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाए।
- (ii) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो तथा नियुक्त प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिये सर्वथा उपयुक्त है।
- (iii) प्रोन्नति के ऐसे पद जिन पर सीधी भर्ती का भी प्राविधान है, प्रोन्नत कार्मिक को स्थायीकरण के उपरोक्त वर्णित उपबन्धों के अधीन पुनः स्थायी किया जाना आवश्यक होगा।

17. ज्येष्ठता-

सीधी भर्ती एवं विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निम्नवत निर्धारित की जायेगी:-

(i) विभागीय आशुलिपिक के पद से परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति (25 प्रतिशत कोटा)-

विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों की उनकी मेरिट के अनुसार सूची "A" तैयार की जायेगी।

(ii) सीधी भर्ती (75 प्रतिशत कोटा)-

सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की परीक्षा की मेरिट के अनुसार सूची "B" तैयार की जायेगी।

- (iii) अपर निजी सचिव के पद पर दोनों स्रोतों से एक ही चयन वर्ष में नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता सूची उनके लिये निर्धारित 25% एवं 75% कोटे के अनुसार 1:3 के अनुपात में निर्धारित की जायेगी जिसमें प्रथम स्थान के लिये प्रोन्नत अभ्यर्थियों के लिये तैयार की गई सूची "A" से तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान के लिये सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिये तैयार की गई सूची "B" से नाम लिये जायेंगे। इसी प्रकार पंचम स्थान के लिये पुनः सूची "A" से तथा छठे, सातवें एवं आठवें स्थान के लिये सूची "B" से नाम लिये जायेंगे। इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत पूरी वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी।**

भाग-सात: वेतन

18. सेवा में अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त व्यक्तियों को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित वेतन एवं भत्ते अनुमन्य होंगे।

19. इस विनियमावली के अन्तर्गत अपर निजी सचिव के पद पर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन निम्नवत निर्धारित हैं:-

पद नाम	वेतनमान		
	वेतन बैंड का नाम	वेतन बैंड (रु०)	सादृश ग्रेड वेतन (रु०)
अपर निजी सचिव	वेतन बैंड -2	9300-34800	4800

भाग-आठ: अन्य उपबंध

20. ऐसे विषय जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत आवरित न होते हों वे सेवारत सरकारी सेवकों पर उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा सामान्यतः समय-समय पर लागू नियमों/विनियमों एवं आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
21. इस विनियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से उत्पादन निगम में प्रचलित वैयक्तिक सहायक पद हेतु इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य विनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी "उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० मुख्यालय अपर निजी सचिव सेवा विनियमावली-2020" प्रभावी होगी।

भाग-नौ: शिथिलीकरण

22. यदि यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो रही है तथा न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही आवश्यक हो जाये तो उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष को ऐसे नियमों को शिथिल करने का विशेषाधिकार होगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या:46/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:190-190.4/अपर निजी सचिव/2020 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़, एटा।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कंपनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.02.2021 को सम्पन्न 190वीं में प्रस्तुत आइटम संख्या -190.4 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05)/उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-02)/अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण इकाई)/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी० सी०-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

(Handwritten Signature)
25/2/21

(तरुण कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)